



2026:AHC:167423

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27698 सन् 2026

हाजी पप्पू @ अफाक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....आवेदक
.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : आसिफ अहमद, अवैश खान
विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आज श्री एस.के. दुबे, विद्वान अधिवक्ता ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. श्री अवैश खान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रिंस कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, जो श्री एस.के. दुबे, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुए तथा श्री विजय कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि उसे सत्र परीक्षण संख्या 935 सन् 2023 (सत्र वाद संख्या 1584 सन् 2023), वाद अपराध

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 234 सन् 2023, धारा 302 एवं 34 भारतीय दंड संहिता, थाना ब्रह्मपुरी, जनपद मेरठ में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में छह अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद है, किन्तु सभी अभियुक्तगण को केवल सामान्य भूमिका आरोपित की गई है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विवेचना के दौरान भी आवेदक की संलिप्तता असत्य पाई गई तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण के दौरान आवेदक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत तलब किया गया।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत पारित तलब आदेश को इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण में चुनौती दी थी, किन्तु जब उसका पुनरीक्षण इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, तब उसने दिनांक 15.7.2026 को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और तभी से वह कारागार में निरुद्ध है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अन्य सभी नामजद अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा उनके जमानत आदेश वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जहां तक आरोपों का संबंध है, आवेदक का वाद उनके समान स्थिति में है।

9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक का तीन अन्य वादों का आपराधिक इतिहास है, किन्तु उसके आपराधिक इतिहास का वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्टीकरण दिया गया है।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।
12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।
13. यद्यपि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में छह अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद था तथा आरोप के अनुसार सभी अभियुक्तगण ने गोलीबारी की, जिसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किन्तु यह परिलक्षित होता है कि सभी अभियुक्तगण को केवल सामान्य भूमिका आरोपित की गई है।
14. आगे, यह भी परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान आवेदक की संलिप्तता असत्य पाई गई तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया।
15. अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि विचारण के दौरान आवेदक को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत तलब किया गया है।
16. यह भी परिलक्षित होता है कि आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत पारित तलब आदेश को इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण में चुनौती दी थी, किन्तु जब उसका आपराधिक पुनरीक्षण निरस्त कर दिया गया, तब उसने दिनांक 15.7.2026 को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया और तभी से वह कारागार में निरुद्ध है।
17. अभिलेख से आगे यह परिलक्षित होता है कि सह-अभियुक्तगण, जो नामजद अभियुक्त भी थे, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है तथा जहां तक आरोपों का संबंध है, आवेदक का वाद उनके समान स्थिति में है।
18. आगे, यद्यपि वर्तमान वाद के अतिरिक्त आवेदक का तीन अन्य वादों का आपराधिक इतिहास है, किन्तु उसके आपराधिक इतिहास का वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्टीकरण दिया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. अतः उपर्युक्त विवेचित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
20. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
21. आवेदक-हाजी पप्पू @ अफाक को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-
- (i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
22. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
23. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं तथा उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।